



# JPSC

## State Civil Services

**Jharkhand Public Service Commission  
(Preliminary & Main)**

**पेपर - 4B**

**लोक प्रशासन एवं सुशासन**



क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
<b>लोक प्रशासन एवं सुशासन</b>		
1.	सरकार के मंत्रालय एवं विभाग	1
2.	रक्षा मंत्रालय	7
3.	आर्थिक कार्य विभाग	9
4.	विनिवेश विभाग	11
5.	विदेश मंत्रालय	16
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	18
7.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	20
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	22
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	23
10.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	24
11.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	28
12.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	30
13.	प्रधानमंत्री कोष	32
14.	पंचायती राज मंत्रालय	33
15.	संसदीय कार्य मंत्रालय	35
16.	अर्द्ध-न्यायिक निकाय	38
17.	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की शक्तियाँ व प्रक्रियाएँ	41
18.	सांविधिक निकाय	45
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग	51
20.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	56
21.	विनियामक निकाय	66
22.	अधिकरण	71
23.	सांविधिक संस्थाएँ	76
24.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	78
25.	केन्द्रीय सूचना आयोग	79
26.	लोकपाल एवं लोकायुक्त	80
27.	विनियामक आयोग	81
28.	अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएँ	82


29.	अधिकार एवं मुद्दे	83
30.	लोक-नीति	86
31.	विभिन्न देशों के संविधान से तुलना	88
32.	लोक प्रशासन	90
33.	विकास प्रशासन का तत्व	104
34.	प्रत्यायोजन	120
35.	सत्ता एवं उत्तरदायित्व	122
36.	वरीयता अनुक्रम	130
37.	संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ	132
38.	संविधान संशोधन: एक नज़र में	137

## शरकार के मंत्रालय एवं विभाग

### (Ministries and Departments of the Government)

प्रशासन के कार्यों में कल्याणकारी अवधारणा त्रुट जाने के साथ ही प्रशासन का एवरूप व्यापक हो गया है। कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्यों को विभिन्न विभागों व मंत्रलयों के ऊंचाई विभाजित किया गया है। शाब्दिक दृष्टि से विभाग से तात्पर्य किसी शंगठन या इकाई के भाग या ऋंग से है। विभाग शम-विभाजन शंकल्पना की देन है। शरकार कायम रहने के लिये स्थापित किये गए मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागों की स्थापना कर दी जाती है।

भारत में मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण और विघटन कार्यपालिका का कार्य है। प्रोफेसर क्लाइट के अनुशार प्रशासन की कुटूंब नीति विभागों पर ही निर्भर होती है।



मंत्रालयों को विभागों में बाँटा गया है। मंत्रालय एवं विभागों का उल्लेख गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एलोकेशन ऑफ बिज़नेस रूल्स, 1961 (Government of India Allocation of Business Rules, 1961) में है। मंत्रालय व विभाग के नीचे विंग, डिवीजन, ब्रॉन्च इत्यादि का प्रयोग होता है। मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख शचिव होते हैं। स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक पदाधिकारियों में से अनुभव, वरीयता इत्यादि के आधार पर चयनित किये जाते हैं।

## मंत्रालय एवं विभागों का संगठन



विभिन्न मंत्रलयों के मध्य समर्वय करने के लिये मंत्रिमण्डलीय समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों के अद्यत्य मंत्रीगण होते हैं। अतः ये समितियाँ विभिन्न मंत्रलयों के मध्य एक तरह से राजनीतिक रूप से समर्वय का कार्य करती हैं। प्रशासनिक रूप पर समर्वय प्राप्ति में मंत्रिमण्डल शयिव और शयिव अंतर्याय समितियों की भूमिका होती है। इस कार्य के लिये संलग्न कार्यालय, अधीनस्थ संगठन, स्वायत्त संस्थाएँ, मण्डल, आयोग, सलाहकारी समितियों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

### विभागीय संरचना की संरचना

विभागीय संरचना पिरामिड की भाँति है। इसमें पदस्थोपान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समर्वय इत्यादि कार्यों के संख्यापूर्वक सम्पादन हेतु पदस्थोपान व्यवस्था एक व्यावहारिक पद्धति है।



विभागीय संस्थानों के पदस्थोपानिक प्रशिक्षण में शता शीर्ष से प्रारंभ होकर क्रमशः नीचे की ओर चलती हैं। शीर्ष तर पर उत्तरदायित्व अधिक होता है और निम्न तर पर कार्य सम्पादन की मात्र बढ़ती जाती है और उत्तरदायित्व की मात्र कम होती जाती है। आदेश व निर्देश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और प्रतिवेदन व शुचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। भारत में मोटे तौर पर त्रि-स्तरीय विभागीय संस्थान हैं-

- (i) राजनीतिक स्तर पर मंत्रलय
- (ii) प्रशासनिक स्तर पर शाखालय
- (iii) क्रियान्वयन स्तर पर निदेशालय/विभाग या कार्यकारी संगठन।

### (i) राजनीतिक स्तर पर मंत्रालय

राजनीतिक स्तर पर प्रमुख मंत्री होते हैं और इनके सहायतार्थ राज्यमंत्री व उपमंत्री होते हैं। ये सभी संसद सदस्य होते हैं एवं उपने कार्यों के लिये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न चुनावों के पश्चात जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधार पर पदाधिकारियों का भी परिवर्तन होता रहता है। स्पष्ट है उनकी नियुक्ति का आधार विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता न होकर दल के भीतर उनकी शक्ति, इथति व राजनीतिक छवि होती है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य विभागों द्वारा कार्य करने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्माण करना, नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण करना, नीति क्रियान्वयन का सामान्य निरीक्षण करना, विभाग की नीति संबंधी प्रश्नों पर संसद के समक्ष स्पष्टीकरण देना है। मंत्री उपने विभाग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करते हैं एवं जनता के समक्ष उपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शाखा (विभाग प्रमुख)	उच्च स्तरीय प्रबंधन
अतिरिक्त शाखा	(उपविभाग प्रमुख)
संयुक्त शाखा	
उप शाखा (प्रभाग प्रमुख)	मध्य स्तरीय प्रबंधन
झवर शाखा (शाखा प्रमुख)	
अनुभाग अधिकारी (अनुभाग प्रमुख)	निम्न स्तरीय प्रबंधन
लिपिक	

विभागों की पदस्थोपानिक संस्थान

## (ii) प्रशासनिक द्वारा पर क्षयिवालय

क्षयिवालय का प्रधान कार्य मंत्रियों को आवश्यक कार्यों के शंपादन में शलाह व शहायता प्रदान करता है। मंत्रालयमुख्य मीटिंग पर अपनी भूमिका शंपादित करते नजर आते हैं, परंतु पृष्ठभूमि द्वारा पर क्षयिवालयीय कार्यों का शंपादन करते हैं। क्षयिवालय व्यवस्था में अनम्यता के रिष्ट्रांट का अनुपालन किया जाता है। क्षयिवालय प्रशासकीय विभाग के मणितष्क केंद्र की भाँति होते हैं। क्षयिवालय शंगठन के शीर्ष पर क्षयिव होते हैं। क्षयिव अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ वर्ग। अधिकारी वर्ग में क्षयिव, उप क्षयिव, अवर क्षयिव होते हैं। बड़े विभागों में अतिरिक्त व क्षंयुक्त क्षयिव का भी प्रावधान होता है। अतिरिक्त व क्षंयुक्त क्षयिव शमान श्रेणी या द्वारा के होते हैं। इनका क्षयिवालीय कार्यों के शंबंध में मंत्री से शीधा शम्पर्क होता है। क्षयिवालय के अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुभाग अधिकारी, शहायक तथा अवर लिपिक आते हैं।

क्षयिवालय की आधारभूत भूमिका द्वारा या शलाहकारी रूप में होती है। क्षयिवालय और अभिकरणों की व्यवस्था को अपनाना लोक नीति निर्धारण व कार्यान्वयन में अलगाव को द्वीकारण की ओर शंकेत करता है। क्षयिवालय के शीर्ष प्रबंधन में शमानज्ञों की रिस्ति शक्ति होती है, तब भी विशेषज्ञों की कुछ नियुक्तियाँ होती हैं।

## (iii) क्रियान्वयन द्वारा पर निदेशालय/विभाग या कार्यकारी शंगठन

क्षयिवालय विभिन्न नीतियों के निर्माण में मंत्रलयों के प्रमुख मंत्रियों को शलाह व परामर्श देते हैं। इन नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व जिन शंगठनों पर होता है उन्हें विभाग या मंत्रालयका कार्यकारी शंगठन कहा जाता है।

विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष कहलाता है। इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, डैसी-निदेशक, महानिदेशक, आयुक्त, महानिरीक्षक आदि। इस प्रकार कार्यकारी अभिकरणों के शीर्ष पदाधिकारियों के कई पदनाम हो सकते हैं। इनका प्रमुख कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। क्षेत्रीय मुद्दों के शंदर्भ में ये क्षयिवालय को अवगत करते हैं तथा उन्हें तकनीकी शहायता देते हैं। इनके कार्य प्रशासनिक के शाथ-शाथ अर्छ-न्यायिक भी हो सकते हैं। यदि इनके क्षमता न्यायिक कार्य आते हैं तो इनके निर्णयों को शंबंधित न्यायाधिकरणों या न्यायालयों में युनौती दी जाती है।

**विभागों के प्रकार (Types of Departments):** संगठन की संरचना एवं आकार, कार्य की प्रकृति एवं आंतरिक संबंधों के आधार पर विभागों में विभिन्नता होती है।

- (i) **एकात्मक विभाग:** एकात्मक विभाग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और किसी गिरिचत उद्देश्य के पूर्ति के लिये संगठित होते हैं, उदाहरणार्थ - प्रतिरक्षा विभाग, आंतरिक विभाग इत्यादि।
- (ii) **संघात्मक विभाग:** संघात्मक विभाग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। संघात्मक विभाग के अनेक उप-विभाग होते हैं। संघात्मक विभाग बहुमुखी होते हैं। उदाहरणार्थ- गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग।
- (iii) **प्रचालन विभाग:** ये विभाग संक्रियात्मक कार्य करते हैं। ये क्रियाओं के प्रचालन में आपना योगदान देते हैं, जैसे- डाक विभाग, टेल विभाग आदि।
- (iv) **समन्वयात्मक विभाग:** ये विभाग समन्वय एवं पर्यवेक्षणात्मक कार्य करते हैं, जैसे- सामाजिक प्रशासन विभाग।

इनके अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका अधिकांश कार्य कार्यालय तक ही सीमित रहता है। इनके अंतर्गत कोई क्षेत्रीय इकाई भी नहीं होती है, उदाहरणार्थ - विता विभाग मंत्रालय प्रशासन के अफल संचालन में मंत्री, शिविरालय, विभाग या कार्यकारी संगठन तथा संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय संलग्न रहते हैं। अच्छे प्रशासन के लिये आवश्यक है कि इन क्षमी घटकों के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख और विभाजन किया जाए तथा ये दो आपस में मिलकर कार्य करें। मुख्य कार्यपालिका अभियंत्रों को निम्नांकित प्रकारों में बाँटा जा सकता है-

- संलग्न कार्यालय (Attached Offices)
- अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate Offices)
- वभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी (Registered Companies)
- विशेष कानून द्वारा स्थापित बोर्ड या निगम (Board or Corporations)
- शोशाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन पंजीकृत शोशाइटी (Registered Societies)

कार्यपालिका अभिकरणों में इनमें से शर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार शंलग्न व अधीनस्थ कार्यालय का है। कार्यालय नियम प्रक्रिया में इन कार्यालयों की व्याख्या की गई है। जहाँ शासकीय नीतियों को लागू करने के लिये विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है, वहाँ मंत्रालय के अधीन शहायक कार्यालय होते हैं जिन्हें शंलग्न और अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। शंलग्न कार्यालय मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नीतियों को लागू करने के लिये कार्यकारिणी निर्देशन देने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के शमान कार्य करते हैं या शासकीय निर्देशों को विस्तृत रूप से लागू करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शामान्य रूप से अधीनस्थ कार्यालय शंलग्न कार्यालय के निर्देशन के अधीन कार्य करते हैं।

## मंत्रालय व विभाग: वर्तमान परिदृश्य

### (Ministries and Departments : Recent Scenario):

यद्यपि 91वें शंविधान शंशोधन द्वारा मंत्रियों की शंख्या सीमित की गई है लेकिन तब भी मंत्रियों की शंख्या ऊदा है। प्रत्यक्ष रूप में कई मंत्रियों के पास दो या अधिक मंत्रालयों की रिस्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। अनुबंधों द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्तियों के प्रयास किये गए हैं। शलाहकारी शमितियों, आयोगों, मण्डलों आदि का प्रयोग बढ़ा है। 'पंचायतीशाज का विषय' राज्यों को देखना है पिछर भी इसके लिये शंघ में मंत्रालय है, उदाहरणार्थ-पंचायती राज मंत्रालय। मंत्रालयों के अंपर्क में शोध व अनुशंधान को बढ़ावा देने के लिये कुछ नोडल शंस्थाओं का विकास किया जा रहा है, उदाहरणार्थ- वित्त के विषयों में वित्तीय प्रबंधन का राष्ट्रीय शंस्थान (National Institute of Financial Management), फरीदाबाद को विकसित करने की योजना। मंत्री-शिव शंबंधों में परिवर्तन के लिये कुछ नवीन परिदृश्यों का वर्णन किया जा सकता है, जैसे- आउटकम बजट के माध्यम से ट्रैमारिक जवाबदेही उभरी है। सूचना के अधिकार अधिनियम से लोकनीतियों में पारदर्शिता बढ़ी है। नागरिक चार्टरों का प्रयोग उभरा है। जनशिकायत निवारण में निवेशकों या न्यायाधिकरणों का प्रयोग उभरा है। न्यायपालिका की शक्तियाँ और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही बढ़ी हैं। लोकनीति विषयों में मंत्रियों की शिविरों के अतिरिक्त विशेषज्ञों, नागरिक शमाज या अन्य शलाहकारी शमितियों की शहायता भी उपलब्ध हुई है। लोकनीति विषयों में लोकनीति इकाइयों का भी प्रयोग किया गया है। मंत्रियों के अशक्त अमृहों के प्रयोग की रिस्तियाँ उभरी हैं।

## रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

भारत सरकार रक्षा और उसके हर घटक को शुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार है। राष्ट्रपति अशांत्र बलों के शर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के साथ टिकी हुई हैं। यह देश की सुरक्षा के अंदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु अशांत्र बलों के लिये नीतिगत ढाँचा और शाधन प्रदान करता है। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालयका प्रमुख होता है। रक्षा मंत्रालयका प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित अभी मामलों पर सरकार की नीति संबंधी निर्देश प्राप्त करने और सेवा मुख्यालय, इंटर सर्विसेज संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों एवं अनुसंधान और विकास संगठन को इन्हें लागू करने के लिये उनसे बातचीत करना है। यह सरकार के नीति-निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन शुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय में चार विभाग होते हैं-

1. रक्षा विभाग (डीओडी)
2. रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपो)
3. रक्षा अनुसंधान एवं विकास (डीडीआर एंड डी)
4. पूर्व ईंगिक कल्याण विभाग और वित्त डिवीजन

### संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

#### (Organizational System and Function)

प्रत्येक सेवा अपने अवयं के कमांडर इन चीफ के नीचे अख्ती गई। 1955 में कमांडर इन चीफ थल ऐनाध्यक्ष, गोरोगा प्रमुख और वायुरोगा प्रमुख के रूप में किया गया। नवंबर 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिये स्थापित किया गया था। नवंबर 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग योजना और रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिरक्षापन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया था। इन दो विभागों का बाद में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के रूप में विलय कर दिया गया। 2004 में रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग का नाम बदल कर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया था।

1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग बनाया गया। 2004 में भूतपूर्व ईंगिक कल्याण विभाग बनाया गया था। रक्षा अधिक रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय में चार विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिये भी जिम्मेदार है।

## विभागों के कार्य (Functions of Departments)

मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा से जुबानी पर नीति-निर्देश तैयार करना और ऐसा मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विषयों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास ज़ंगठन से इन्हें लागू करने के लिये उनसे बातचीत करना है। यह शरकार के नीति-निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुगोदित कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्य इस प्रकार हैं-

- (i) 'रक्षा विभाग' एकीकृत रक्षा स्टाफ (इनिटियेटिव डिफेंस स्टाफ) एवं तीनों रक्षा रोकाओं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ नियंत्रित करता है। यह 'विभाग' रक्षा बजट, अवस्थापना जंबूदी विषयों, रक्षा नीति, संसदीय विषयों, विदेशों के साथ रक्षा संहयोग और रक्षा सम्बद्ध सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये प्रधान भूमिका निभाता है।
- (ii) रक्षा उत्पाद विभाग का प्रमुख शायद इसका कार्यवाहियाँ होता है। यह विभाग रक्षा उत्पादन विषयों, आयातित अंडारों का देशज रूप विकसित करने, उपकरण एवं अन्य घटकों, युद्ध सामग्री फैक्ट्री बोर्ड (आईडीएनसी फैक्ट्री बोर्ड) और रक्षा शार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के नियोजन-नियंत्रण सम्बद्ध विषयों की नियंत्रणी करता है।
- (iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का प्रमुख शायद इसका कार्यवाहियाँ होता है। यह रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक शलाहकार होता है। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और सामग्रियों के वैज्ञानिक पहलुओं पर रक्षाकार को परामर्श देना तथा तीनों रक्षा रोकाओं द्वारा वांछित शोध, डिजाइन और विकास योजनाओं को सुनिश्चित करना है।
- (iv) भूतपूर्व ईंगिक कल्याण विभाग का प्रमुख शायद होता है और यह विभाग भूतपूर्व ईंगिकों के पुनर्वासन, कल्याण एवं पेंशन विषयों से सम्बद्ध कार्य करता है।

## वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

भारत शरकार के राजस्व जंबूदी मामलों को शायदित करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 1810 में वित्त विभाग अस्थिति में आया। इवंतत्रता प्राप्ति के बाद इसी वित्त विभाग का नाम बदलकर वित्त मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय भारत शरकार के आय-व्यय का व्यौद्धा रखता है। भारत शरकार के वित्त-प्रशासन तथा उससे जुबानी परिषद्वारा विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों को निपटाने के लिये वित्त मंत्रालय ही उत्तरदायी है। जंगठन-वित्त मंत्रालय कैबिनेट शरण की एक वरिष्ठ मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। विभाग के नीति-निर्धारण का कार्य राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय शायद आदि की शहायता से किया जाता है। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख शायद होता है, जो भारतीय प्रशासनिक रोका का वरिष्ठ शदृश होता है। यह मंत्रियों को विभागीय नीतियों व प्रशासनिक कार्यों में शलाह देता है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं-

1. आर्थिक कार्य विभाग
2. व्यय विभाग
3. राजस्व विभाग
4. विनिवेश विभाग (2004 में शामिल)
5. वित्तीय रोका विभाग (2006-07 में शामिल)

## आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और वैदेशिक पहलुओं से जुड़ा होता है, को तैयार करने और उन्हें मौजिटर करने के लिये केन्द्र शरकार की गोड़ल एजेंसी है। इस विभाग का एक प्रमुख उत्तरदायित्व प्रतिवर्ष केन्द्रीय बजट तैयार करना है।

### व्यय विभाग (Department of Expenditure)

शरकार की शार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शर्तय की वित्तीय एवं शांबंधित मामलों की जाँच करने हेतु यह एक गोड़ल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख जूकीमों/परियोजनाओं (योजना और मैरी-योजना व्यय दोनों) की अधिकृति पूर्व मूल्यांकन; शर्तों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय शंसाधनों के एक बड़े अंश का रक्खा-रक्खाव; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोग की शिफारिशों का कार्यान्वयन; वित्तीय शलाहकारों के शाथ समनवय करते हुए और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों के प्रबोधन के जारी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की जाँच करना; केन्द्रीय शरकारी लेखों को तैयार करना; केन्द्र शरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना; शार्वजनिक लेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; स्टाफिंग पैटर्न और ओ. एंड एम. (Operations and Maintenance) क्षेत्रों की शमीक्षा के जारी शंगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना व उत्पादन और शार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिये प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की शमीक्षा करना शामिल है। यह विभाग मंत्रालय के शंशद से शांबंधित कार्यों शहित वित्त मंत्रालय से शांबंधित मामलों के समनवय की व्यवस्था भी करता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन शंस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

### शरारत्व विभाग (Revenue Department)

शरारत्व विभाग शायद (शरारत्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शंघीय करों से शांबंधित मामलों के शंशद में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं शीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख क्षेत्रों होते हैं जो कि भारत शरकार के पदेन विशेष शायद भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा शभी प्रत्यक्ष करों को लगाने और शंग्रहण के कार्य किये जाते हैं जबकि शीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों कर तथा अन्य परीक्षा/अप्रत्यक्ष कर लगाने व शंग्रहण से शांबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और शीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय शरारत्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किये गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 शदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं शीमा शुल्क बोर्ड में क्षेत्रों के अध्यक्ष शहित 5 शदस्य हैं।

## वित्तीय सेवाएँ विभाग

### (Department of Financial Services)

यह विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देशन में दी जाने वाली वित्तीय, बीमा तथा बैंकिंग सेवाओं से शम्बन्धित शमश्त कार्य निष्पादित करता है। इस विभाग की द्वयना आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग एवं बीमा शंभाग को पृथक् करके की गई है। बैंकिंग एवं बीमा शंभाग वाणिडियक बैंक नीति, शाखा विभाग, कृषि शाखा देश-विदेश के बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से शम्बन्धित कार्य निष्पादित करता है जो मुख्यतः बैंकिंग परिचालन, औद्योगिक वित्त, प्राथमिकता क्षेत्र, कार्मिक शम्बन्ध तथा शतकर्ता से शम्बन्धित होते हैं। 19 जुलाई, 1969 को अध्यादेश द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगलत, 1991 में वित्तीय प्रणाली ढाँचे, शंगठन तथा कामकाज को लेकर बनी एम. नरसिंहम शमिति की अनुशंसा के पश्चात् यह शंभाग बैंकों की बैलेंस शीट पर अधिक निगरानी दखने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1935 को गठित तथा 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकृत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस क्रम में वित्त मंत्रालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। एक उपर का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है।

यह शंभाग बीमा से शम्बन्धित गतिविधियों भी नियंत्रित है। 1 दिसंबर, 1956 को गठित भारतीय जीवन बीमा निगम करता (LIC) तथा नवंबर 1972 में गठित भारतीय शाधारण बीमा निगम (GIC) जो नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि., औरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. तथा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के माध्यम से कार्य करता है तथा डाक बीमा योजना को यह विभाग मार्गदर्शन प्रदान करता है। बीमा नीति एवं प्रशासन शंचालन में यह विभाग प्रमुख अधिकरण है। योजनाओं की घोषणा तथा जन-कल्याण की नीति भी इसी विभाग प्रमुख बीमा द्वारा निर्मित होती है। बीमा क्षेत्र की निजी कम्पनियों को भी यह विभाग बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के माध्यम से नियंत्रित-निर्देशित करता है। यह विभाग 'बीमा (शंशोधन) अधिनियम, 2002' का क्रियान्वयन भी देखता है। यह विभाग बीमा, (शंशोधन) अधिनियम, 2002 का क्रियान्वयन भी देखता है। यह विभाग बीमा, बैंकिंग तथा पेंशन शुद्धार से शम्बन्धित शमश्त नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा कार्यों का निष्पादन करता है। पूर्व में ये कार्य आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किये जाते थे।

## विनिवेश विभाग (Department of Disinvestment)

अधिकारी

### दीपम (DIPAM)

10 दिसंबर, 1999 को विनिवेश विभाग बनाया गया था, जिसे 6 नवम्बर, 2001 को मंत्रालय का अंतर्गत प्रदान किया गया किन्तु 2004 से इसे वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया है। 1991 के आर्थिक शुद्धारों के पश्चात् शुरू हुई। निजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा तत्कालीन नीतिगत निर्णय का कार्य यही विभाग करता है। वर्तमान में इस विभाग की नीति है कि 'गवर्नल' का अंतर्गत प्राप्त तथा लाभार्डन कर रहे लोक उपकरणों का निजीकरण नहीं किया जाए, बल्कि इन्हें बाहरी बाजार से पूँजी एकत्रण एवं संशोधन गतिशीलता हेतु अधिक स्वायतता प्रदान की जाए। साथ ही, अत्यंत घटे में चल रहे लोक उपकरणों को श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए बन्द किया जाये या निजीकरण किया जाये। इसके अलावा सरकार निजीकरण के सामाजिक दायित्वों एवं शब्दभौमि को भी ध्यान में रखेगी।

## गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

आरंभ से ही गृह विभाग का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत, परम्परागत तथा जटिल प्रकृति का रहा है, इसलिये इसे जननी मंत्रालय (Mother Ministry) भी कहा जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गडबड़ी से सुरक्षा प्रदान करे।

शान्ति एवं सौहार्द, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकंक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं समन्वय राष्ट्र के निर्माण के लिये आवश्यक पूर्वपिक्षाएँ हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करेगा:

- आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरों तथा उत्तराधिकारी, विद्वान् एवं आतंकवाद की समाप्त करना।
- सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना।
- कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना।
- समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना।
- मानवाधिकारों के शिद्धांतों को कायम रखना।
- प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना।

गृह मंत्रालय, राज्यों के अधिकारी एवं अधिकारी में दखल दिये बिना सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिये राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

## गृह मंत्रालय की भूमिका

### (Role of Home Ministry)

- शार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस-शड्यों के मुख्य दायित्व( भाग XI एवं शातवी अनुशूली) ।
- शंघ के कर्तव्य आंतरिक इशांति से शड्यों की सुरक्षा शड्यों के शासन का शांविधान के अनुरूप शंचालन सुनिश्चित करना ।
- गोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व निर्वहन करना ।
- आंतरिक सुरक्षा से शंबंधित कभी मामले देखना ।
- केंद्र शड्य शंबंधों एवं अन्तर शड्य शंबंधों से शंबंधित कभी मामले देखना ।
- शाजभाषा से शंबंधित शांविधानिक उपबंधों एवं शाजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन ।
- शांविधान के तहत कुछ प्रमुख दायित्वों का निर्वहन यथा शष्ट्रपति एवं उपशष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने शंबंधी अधिकूलना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति शंबंधी अधिकूलना, शड्यों के शड्यपालों एवं शंघ शासित क्षेत्रों के उपशड्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति, त्यागपत्र एवं हटाए जाने शंबंधी अधिकूलना ।
- नागरिकता एवं नागरिकों को अधिकार प्रदान करने, जनगणना, शष्ट्रगान शष्ट्रीय ध्वज आदि और मामले ।

## विभाग

### (Departments)

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के नियन्त्रित विभाग हैं-

- (i) शीमा प्रबंधन विभाग
- (ii) आंतरिक सुरक्षा विभाग
- (iii) शड्य विभाग
- (iv) शाजभाषा विभाग
- (v) गृह विभाग
- (vi) जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग कार्य (Functions)

गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र शैक्षिक ऐ ही विश्वृत तथा गम्भीर प्रकृति का रहा है । गृह मंत्रालय के कार्य इसके विभागों के अनुसार यहाँ वर्णित किये जा रहे हैं ।